भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2982

उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

स्वच्छता पर्यवेक्षकों तथा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि

2982. श्री सुनील कुमार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सहित देश की पंचायतों में स्वच्छता पर्यवेक्षक और सफाई कर्मचारी स्वच्छता कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मानदेय के रूप में स्वच्छता पर्यवेक्षक को 5000 से 7000 रुपये प्रति माह और सफाई कर्मचारी को केवल 100 रुपये प्रति दिन मिलते हैं; और

(ग) क्या सरकार मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए उक्त स्वच्छता पर्यवेक्षकों और कामगारों के मानदेय में वृद्धि करने और देश में उनके लिए एकसमान न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य का विषय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वच्छता सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छता पर्यवेक्षकों/सफाई कर्मचारियों या अन्य जनशक्ति को काम पर रखना, उन्हें पारिश्रमिक और अन्य लाभ प्रदान करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिहार सरकार सहित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है और उसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

*****